

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-मुंगेली (छ.ग.)

क्र/२१६० / शिकायत/निलंबन/२०२६

मुंगेली, दिनांक २२/०५/२०२६

// आदेश //


माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीएस ३०२१/२०२३ रूपेश कुमार राजपूत एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक ३१.०१.२०२६ की गलत व्याख्या करते हुए संबंधित ०९ पक्षकारों को सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति को भ्रम में डालते हुए कूटरचना कर श्री मनोज कुमार साहू, सहा. ग्रेड-०२ द्वारा संबंधितों की पदोन्नति कराई। उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम १९६५ के उप नियम ०३ के विपरीत कृत्य होने के कारण में श्री मनोज कुमार साहू, सहा. ग्रेड-०२ संलग्न कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मूल पदस्थापना कार्या.विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पथरिया जिला मुंगेली) को संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।

उक्त के संबंध में संबंधित द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया। जवाब संतोषप्रद एवं समाधान कारक नहीं पाया गया।

एतएव, एतद् द्वारा श्री मनोज कुमार साहू, सहा. ग्रेड-०२ संलग्न कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मूल पदस्थापना कार्या.विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पथरिया जिला मुंगेली) को छ.ग. सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) १९६६ के नियम-९(१)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, लोरमी जिला-मुंगेली (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

मुंगेली, दिनांक २२/०५/२०२६

पृ.क्र/ २१६१ / शिकायत/निलंबन/२०२६
प्रतिलिपि :-

१. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
२. कलेक्टर, जिला-मुंगेली (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
३. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
४. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पथरिया/लोरमी को सूचनार्थ।
५. श्री मनोज कुमार साहू, सहा. ग्रेड-०२ संलग्न कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मूल पदस्थापना कार्या.विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पथरिया जिला मुंगेली) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


२२/०५/२०२६
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-मुंगेली (छ.ग.)